UPAD010104352022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–15,लाहाबाद।

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 455/2022

मो0 निसार पुत्र कमरूद्दीन निवासी ग्राम भोपतपुर, पोस्ट सहसों, थाना थरवई, जिला प्रयागराज।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. मो0 वसीम उर्फ सद्दाम पुत्र मो0 शाहजादे
3. श्रीमती मोमिना बानो पत्नी मो0 शाहजादे
4. श्रीमती नाज़रीन बेगम पत्नी इलियास मोहम्मद
5. मो0 शाहजादे पुत्र बरकत उल्लाह

निवासीगण ग्राम भोपतपुर थाना थरवई जिला प्रयागराज।

.....विपक्षीगण।

07.10.2023

1- पत्रावली आदेशार्थ नियत है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में विगत तिथि पर सुना जा चुका है एवं प्रत्यर्थीगण पर तामीला पर्याप्त माना जा चुका है।

2. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, मुकदमा संख्या–2080/2021 (मोहम्मद निसार बनाम मो0 वसीम) थाना थरवई जनपद प्रयागराज में विद्वान सम्बन्धित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–5 इलाहाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 14.07.2022 के विरूद्ध संस्थित किया गया है। आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 निरस्त कर दिया गया था।

3. दाण्डिक पुनरीक्षण में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 14.07.2022 विधि विरूद्ध एवं आधारहीन तथा तर्कहीन है। पुनरीक्षणकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 में माननीय अवर न्यायालय के समक्ष दाखिल किया था और पुलिस रिपोर्ट भी संबंधित थाने से प्रस्तुत की गयी थी, इसके बावजूद पुनरीक्षणकर्ता पर यह आरोप दिखाया गया है कि प्रार्थना पत्र पर बल न देने के कारण निरस्त कर दियाग या है जो पूरी तरह अनुचित है क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता के उपस्थित होने का प्रमाण हेतु पत्रावली पर हस्ताक्षर किये जाने का बाध्यकारी विधि व्यवस्था नहीं है। अवर न्यायालय ने अपराध के तथ्यों पर ध्यान न देते हुए प्रार्थनापत्र पर बल न देने का आधार प्रदर्शित कर दिया है जो अनियमितता,

अवैधानिकता, अनौचित्य का प्रदर्शन है, इसलिए प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। दिनांक 07.04.2021 को घटित अपराध संज्ञेय है और पुनरीक्षणकर्ता के न्यायहित में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाना वैधानिक है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्देश दिया है (ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य (2013)(13) एस.सी.ए.एल.एफ. पीपी.559–603) पुनरीक्षणकर्ता का न्यायहित क्षतिग्रस्त हो रहा है तथा धारा 154(1) द0प्र0सं0 में बाध्यकारी प्राविधान है कि संज्ञेय अपराधों में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाना आवश्यक है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायिक कार्यवाही के योग्य है। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांकित 14.07.2022 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. मैनें निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अवलोकन किया।

5. दं.प्र.स. की धारा–397 में प्राविधान किया गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर न्यायालय के समक्ष की, किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की (जो अन्तर्वर्ती आदेश न हो) शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। अतः आक्षेपित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण संधार्य है।

6. सुना व मूल पत्रावली का परिशीलन किया।

7. मूल पत्रावली व आक्षेपित आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 निरस्त कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र को गुण–दोष के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है। विधि का सिद्धान्त है कि आदेश तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर पारित किया जाना चाहिए। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में आक्षेपित आदेश गुण–दोष के आधार पर नहीं किया बल्कि मात्र पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता को सुनवायी का अवसर दिया जाना न्यायोचित व समचीन प्रतीत होता है। अतः पुनरीक्षण न्यायालय के अभिमत में संबंधित न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए जाने में तात्विक अनियमितता कारित की गयी है। तद्नुसार पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–455/2022 मो0 निसार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य स्वीकार किया जाता है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय अपर मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या–5, इलाहाबाद द्वारा मुकदमा संख्या–2080/2021 (मोहम्मद निसार बनाम मो0 वसीम)थाना थरवई जनपद प्रयागराज में पारित आदेश दिनांकित 14.07.2022 निरस्त किया जाता है। संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये सम्प्रेषण के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता को सुनवायी का अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुण–दोष पर करे। मूल पत्रावली मय आदेश की प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब वापस प्रेषित हो। पुनरीक्षणकर्ता स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता संबंधित न्यायालय में नियत दिनांक 08.11.2023 उपस्थित हो। शेष पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। कार्यालय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

दिनांकः–07.10.2023

(निर्भय प्रकाश)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–15
इलाहाबाद
(जे0ओ0कोड–यू0पी01687)